भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-140

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुल्क वृद्धि

140. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लिए जा रहे अत्यधिक शुल्क को ध्यान में रखते हुए शुल्क वृद्धि के संबंध में कोई निश्चित मानदंड निर्धारित करने का विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव के कारण शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूलने का व्यवसाय उन्नति कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही किए जाने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार के स्वामित्व/वित्तपोषित स्कूलों को छोड़कर, अन्य सभी स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसलिए, निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस और उससे संबंधित विषयों का विनियमन संबंधित राज्य सरकारों के नियमों और निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

तथापि, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत, छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटों का आरक्षण और ऐसे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है। साथ ही, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13 किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क लेने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाती है।

******